माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और अजय तिवारी के समक्ष

हरियाणा राज्य — याचिकाकर्ता

बनाम

केन्द्रीय सहायक ट्राइब्यूनल, चंडीगढ़
बेंच, चंडीगढ़ और अन्य, — उत्तरदाताओं

सी. डब्ल्यू.पी.2005 की संख्या 18050

24 जुलाई, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226—अखिल भारतीय सेवाएँ (गोपनीय नामावली) नियम, 1970—नियम 5, 6 और 8- न्यायाधिकरण स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश देना एसीआर में- उसकी चुनौती -टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग के साथ रिपोर्टिंग प्राधिकारी का काम समाप्त हो जाता है स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा- नियम 8 के संदर्भ में केवल प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं संप्रेषित किया जाना आवश्यक है - स्वीकार करते हुए टिप्पणियाँ दर्ज की गईं प्राधिकार अधिकारियों के पदानुक्रम में अंतिम टिप्पणियाँ हैं - आवश्यक नहीं स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को टिप्पणियों को डाउनग्रेड करने के कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए रिपोर्टिंग और समीक्षा अधिकारियों द्वारा अंतिम शब्द के रूप में दर्ज किया गया रिपोर्ट दर्ज करने का मामला स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का है- ट्रिब्यूनल का तर्क है कि स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की आवश्यकता थी रिपोर्टिंग द्वारा टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग से असहमत होने के कारणों को रिकॉर्ड करें/ समीक्षा प्राधिकारी

अभिनिर्धारित किया गया है कि, अखिल भारतीय सेवाओं (गोपनीय रोल) नियम, 1970 के नियम 5 का मानना है कि गोपनीय रिपोर्ट का आकलन करता है प्रदर्शन, चरित्र, आचरण और सेवा के प्रत्येक सदस्य की गुणवत्ता, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष के लिए लिखा जा सकता है, जैसा भी सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो सकता है। नियमों का नियम 6 समीक्षा प्राधिकारी से संबंधित है और नियमों के नियम 6-ए प्राधिकरण स्वीकार करने से संबंधित है। नियम 2 (ए) के संदर्भ में स्वीकृति प्राधिकरण नियमों का अर्थ है कि इस तरह के प्राधिकरण समीक्षा प्राधिकारी की गड़बड़ी की निगरानी करते हैं जैसा कि इस ओर से विशेष रूप सरकार सशक्त हो सकता है। इसलिए टिप्पणियों को दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है रिपोर्टिंग प्राधिकारी की टिप्पणियों के साथ, लेकिन ऐसी प्रक्रिया स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग के साथ समाप्त हो जाती है।

नियम 8 के संदर्भ में, यह गोपनीय रिपोर्ट में केवल प्रतिकूल टिप्पणी है, जिसे पूरे पदार्थ के साथ एक साथ संप्रेषित करने की आवश्यकता होती है सरकार या इस तरह के अन्य प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रिपोर्ट सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए.

(पैरा 11)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि ट्रिब्यूनल ने जो तर्क दिया है स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को असहमत होने के कारणों को रिकॉर्ड करना आवश्यक था रिपोर्टिंग/समीक्षा प्राधिकारी द्वारा क़ानून में टिकाऊ टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। स्वीकृति प्राधिकरण वह प्राधिकरण है जो समीक्षा प्राधिकरण और समीक्षा के प्रदर्शन की निगरानी करता है नियमों के नियम 2 (एफ) के संदर्भ में अधिकार, वह अधिकार है, जो रिपोर्टिंग अधिकारी के प्रदर्शन की निगरानी करता है। इसलिए, यह अधिकारी का पदानुक्रम है, उस कार्य की देखरेख करना जिसे टिप्पणी रिकॉर्ड करना है। स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई टिप्पणी अधिकारियों के पदानुक्रम में केवल अंतिम टिप्पणी है। इसलिए, यह ऐसा टिप्पणी है , जो प्रासंगिक हैं। इस प्रकार, स्वीकार करना आवश्यक नहीं था दर्ज की गई टिप्पणियों को डाउनग्रेड करने के कारणों को दर्ज करने का अधिकार मामले में अंतिम शब्द के रूप में रिपोर्टिंग और समीक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा रिपोर्टों की रिकॉर्डिंग का कार्य स्वीकृति प्राधिकारी का है।

(पैरा 12)

सुश्री ममता सिंहल तलवार, एएजी, हरियाणा.

कोई नहीं, उत्तरदाताओं के लिए.

हेमंत गुप्ता, जे.

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2005 केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (इसके बाद ट्रिब्यूनल के रूप में जाना जाएगा) द्वारा पारित है। उपरोक्त आदेश के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा दायर एक मूल आवेदन प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत क्रमांक 2 था अनुमति दी गई है और स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियाँ वर्ष 1997-98 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया गया मिटा दिया गया है।

(2) आवेदक 1985 बैच का आईपीएस अधिकारी है, जिसे हरियाणा केडर में आवंटित किया गया है। आवेदक का आरोप है कि उसकी पत्नी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बंसी लाई की भाभी की नातिन है। वह और उसके रिश्तेदारों के संबंध श्री बंसी लाई के साथ अच्छे नहीं हैं। काम करते समय के दौरान पानीपत और कुरूक्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के रूप में रहे 1991 के आम चुनाव में श्री बंसी लाई आवेदक चाहते थे अवैध रूप से उनकी पार्टी की मदद करें। ऐसा करने से मना करने पर श्री बंसी लाई आवेदक के प्रति पक्षपातपूर्ण और प्रतिशोधात्मक बन गये। जब श्री बंसी लाई 1996 में सत्ता में आये आने के बाद आवेदक को चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। आवेदक ने आशंका जताई कि उनकी वर्ष 1996-97 और 1997-98 की ए.सी.आर. श्री बंसी लाई, प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा स्वीकारकर्ता अधिकारी के रूप में पदावनत कर दिया गया है। ऐसा आवेदक के प्रति उनके पूर्वाग्रह और प्रतिशोध की भावना के कारण किया गया। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक का दावा है कि यद्यपि उन्हें कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई, लेकिन उनकी एसीआर अवैध रूप से बना ली गई है और मनमाने ढंग से डाउनग्रेड किया गया।यूपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल निगम बनाम प्रभात चन्द्र जैन, (1) पर भरोसा रखा गया। उन्होंने विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन यह 8 नवंबर, 2002 को वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के प्रधानाचार्य सचिव ने उन्हें बताया कि उनका उनके एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी व्यक्त करने के संबंध में अभ्यावेदन करता है नियमों के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए, दायर किया गया है।

(3) उत्तर में, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने कहा कि स्वीकार प्राधिकरी रिपोर्टिंग/समीक्षा प्राधिकारी की टिप्पणियों को स्वीकार कर सकता है ऐसे संशोधन के साथ जो पहले आवश्यक समझा जाए रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करते हुए एसीआर को 'बहुत अच्छा’ के बजाय 'अच्छा' स्वीकार किया जाए।

उक्त रिपोर्टिंग में कुछ भी प्रतिकूल शामिल नहीं है और न ही ऐसा हो सकता है पदावनति कहा जायेगा। स्वीकृति के बाद ही एसीआर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा पूर्ण होती है अत: आवेदक को सलाह दी गयी कि एसीआर बताने के संबंध में नियमों के दायरे में उनका अभ्यावेदन नहीं आता। इस बात से भी इनकार किया गया कि यू.पी. में फैसला सुनाया गया। जल निगम मामला (सुप्रा) वर्तमान मामले पर लागू होता है।

(4) श्री बंसी लाई प्रतिवादी संख्या 4, ने अपने लिखित बयान में अपने ऊपर लगे दुर्भावनापूर्ण आरोपों से इनकार किया। यह कहा गया है स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को किसी अधिकारी के प्रदर्शन पर रिपोर्ट करते समय अपना दिमाग लगाना होगा और जो कुछ भी है उसे आँख बंद करके स्वीकार नहीं करना होगा रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा है कि आवेदक उसका दूर का रिश्तेदार है और उसके पास कोई अवसर नहीं है उनसे मिलने के लिए क्योंकि उनसे और उनके बीच कोई करीबी पारिवारिक रिश्ता नहीं था।उन्हें आवेदक के रिश्तेदारों के साथ कथित तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी नहीं थी। वह प्रार्थी से आज तक सामाजिक तौर पर कभी नहीं मिला कोई पारिवारिक संबंध नहीं है और यहां तक कि आवेदक को भी नहीं पहचान सका। उसके पास एक काफी बड़ा परिवार है और आवेदक उसके परिवार के कुछ सदस्यों के संपर्क में हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि उक्त प्रतिवादी आवेदक को 1991 और 1996 में हुए चुनावों के दौरान अपनी पार्टी की मदद करने के लिए कभी नहीं कहना चाहता था।

(5) विद्वान न्यायाधिकरण ने पाया कि दो मुद्दों पर सुविचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, क्या रिपोर्ट जो प्रति-से-प्रतिकूल नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले की तरह बिना कोई कारण बताए डाउनग्रेड कर दिया गया है, उसे संप्रेषित करने की आवश्यकता है और दूसरी बात, क्या ऐसी टिप्पणियों को मिटा दिये जाने/ अनदेखा करने की आवश्यकता है। पहले प्रश्न के संबंध में, न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ देने का उद्देश्य केवल देना नहीं है यदि वे तथ्यात्मक गलती या दुर्भावना पर आधारित हैं बल्कि उसे सुधार का मौका देने के लिए भी है।न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि टिप्पणियों का संप्रेषण कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता, जो विलंबित स्तर पर प्रतिकूल न हो। हालाँकि, दूसरे प्रश्न के संबंध में, न्यायाधिकरण ने एसीआर रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और इस्तेमाल किए गए प्रोफार्मा पर चर्चा की। यूपी जल निगम का मामला (सुप्रा) पर निर्भर करते हुए, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित प्रभाव डाला: -

"14. मैंने वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 की एसीआर का अवलोकन किया है। यह देखा गया है कि वे दो अलग-अलग रैंक के रिपोर्टिंग अधिकारियों डीआईजी/आईजी द्वारा दर्ज किया गया और दो अलग-अलग रैंक के अधिकारियों एडीजीपी/डीजीपी समीक्षाकर्ताओं द्वारा समीक्षा की गई। इन अधिकारियों के अलावा, पुलिस महानिदेशक और दो गृह सचिव अधिकारी के मूल्यांकन को मानने पर भी "बहुत अच्छा" पर सहमत हुए हैं। गृह मंत्री पहले भी रिपोर्ट देख चुके हैं उन्हें स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री के सामने रखे जाने से पहले। मुख्यमंत्री ने दोनों वर्षों की रिपोर्ट में महज रिकार्ड किया कि वह अधिकारी के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन "अच्छा" के रूप में करेंगे।

15. "अच्छी" रिपोर्ट को प्रतिकूल नहीं माना जाता है और इसलिए अधिकारी को सूचित नहीं किया गया। हालाँकि, ऐसे एक रिपोर्ट एक मूक हत्यारा है क्योंकि इसकी क्षति बाद की तारीख में होती है जब प्रतिस्पर्धा उच्च नौकरियों के लिए होती है और एक अधिकारी को गहन प्रतियोगिता में "अच्छा" घोषित होने पर ग्रेड नहीं मिल पाता। लेखन के गोपनीय रिपोर्ट लिखने के इन पहलुओं पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के यू.पी. जल निगम (सुप्रा) मामले में कहा कि एक सकारात्मक गोपनीय प्रविष्टि भी किसी दिए गए मामले में खतरनाक रूप से प्रतिकूल हो सकता है।

(6) बाद में आवेदक के ख़िलाफ़ प्रतिवादी संख्या 4 के दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह के आरोपों पर चर्चा करते हुए, न्यायाधिकरण ने माना कि प्रतिवादी संख्या 4 को अधिकारी के बारे में उसकी पहले की धारणा से निर्देशित किया गया है, न कि उसके द्वारा रखे गये पद पर उसके वास्तविक प्रदर्शन से। भले ही वह उसे पहचान नहीं रहा हो। न्यायाधिकरण ने पाया कि कारणों को दर्ज न करना एसीआर लिखने में मनमानी करने का मामला है जैसा कि यूपी जल निगम(सुप्रा) मामले में निर्धारित किया गया। फिर भी यह माना गया कि चूँकि प्रतिवादी संख्या 4 विभिन्न अधिकारियों की राय से भिन्न था, जिन्होंने उसके कार्य का पर्यवेक्षण किया था, उसे ऐसा करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए था।

(7) हमने दोनों में याचिका कर्ता के विद्वान वकील को सुना है। आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, हालाँकि वाद सूची में एक नोट डाला गया था कि श्री धर्मपाल सिंह मलिक, अधिवक्ता, आज के लिए स्वयं उपस्थित हो।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम मेजर बहादुर सिंह (2) पर भरोसा किया है, जिसमें यूपी जल निगम (सुप्रा) मामले को ध्यान में रखा गया। यह निर्धारित किया गया कि उक्त निर्णय केवल यूपी जल निगम के कर्मचारियों के लिए दिया जाना था और इसका कोई सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं है।

(9) यह भी तर्क दिया गया कि अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय नामवाली) नियम, 1970 के संदर्भ में, एसीआर की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्वीकार करने वाले प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है यानी वर्तमान मामले में, तत्कालीन प्रमुख मंत्री। नियमों के नियम 6-ए और 6-बी पर निर्भर किया गया था।

इस प्रकार, यह स्वीकार किया जाता है कि केवल स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा टिप्पणी के लेखन के साथ , एसीआर की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। एसीआर की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में अलग-अलग चरण प्रासंगिक नहीं हैं यह आदेश है, जिसे आवेदक के अधिकारों को प्रभावित करने के लिए कहा जा सकता है. नियम 6-ए और 6-बी नियमों के तहत पढ़ा जाता है: —

"6-ए. गोपनीय रिपोर्ट की स्वीकृति.- (1) स्वीकार करने वाला प्राधिकारी इसकी समीक्षा के एक महीने के भीतर रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी दर्ज करेगा और इससे आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ स्वीकार कर सकता है और रिपोर्ट पर प्रति हस्ताक्षर कर सकता है।

नोट: इस आशय की प्रविष्टि गोपनीयरिपोर्ट में की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निहित कुछ भी होने के बावजूद, स्वीकार करने वाला प्राधिकारी ऐसी किसी भी रिपोर्ट को स्वीकार करने और प्रति हस्ताक्षर करने ke लिए सक्षम नहीं होगा,

(a) जहां स्वीकार करने वाला प्राधिकारी एक सरकारी सेवक है, सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, और

(b) अन्य मामलों में, उसके कार्यालय छोड़ने के बाद.

स्पष्टीकरण। — इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी मंत्री को पद छोड़ दिया हुआ नहीं माना जाएगा यदि वह एक अलग पोर्टफोलियो के साथ मंत्री परिषद में या पिछली मंत्री परिषद के तुरंत बाद पुनर्गठित मंत्री परिषद में मंत्री बना रहता है वह है सम्मान या भिन्न विभाग वाले मंत्री थे।

6-बी. ऐसे मामले जिनमें स्वीकार करने वाला प्राधिकारी गोपनीय रिपोर्ट लिखता है या समीक्षा करता है। — नियम 5 या नियम 6 में कुछ भी एसा निहित नहीं है, जहां स्वीकार करने वाला प्राधिकारी के किसी भी सदस्य की गोपनीय रिपोर्ट लिखता है या

उसकी समीक्षा करता है, वहाँ समीक्षा करना और ऐसी रिपोर्ट स्वीकार करना आवश्यक नहीं होगा। ”

(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यूपी. जल निगम का मामला (सुप्रा) तथा मेजर बहादुर सिंह का मामला (सुप्रा) में, **11** अप्रैल **2008 (** भारत संघ और अन्य बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य) को निर्यानित सिविल रीत याचिका संख्या **12427**-सीएट **2003** में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया। उक्त मामले में,राजेन्द्र कुमार बनाम भारत संघ **(3)** में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच के फ़ैसले और भारत संघ बनाम कर्नल (डॉ) जीबन चंद्र साहा **(4)** के मामले में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के फ़ैसले का संदर्भ दिया गया है। जिसमें यूपी जल निगम(सुप्रा) मामले के फ़ैसले पर विचार किया गया और यह माना गया कि उक्त निर्णय को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है और उसके तथ्य खोज पर आधारित निर्णय है। उपरोक्त निर्णयों और बहादुर सिंह मेजर बनाम भारत संघ **(5)** में दिल्ली उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर विचार करने के बाद जो अंततः भारत संघ और अन्य बनाम बहादुर सिंह (सुप्रा) **ke** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार का विषय बन गया। इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रभाव डाला**:**

> "यह वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में केवल प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं जिनके संदर्भ में सूचित किया जाना आवश्यक है 3 जनवरी,1978 को भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: —
>
> "20. प्रतिकूल प्रविष्टियों का संचार और कैसे किया जाए। - सरकारी कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट में प्रदर्शन के साथ-साथ बुनियादी गुणों और क्षमता दोनों पर सभी प्रतिकूल प्रविष्टियों को एक महीने के भीतर अच्छे बिंदुओं के उल्लेख के साथ सूचित किया जाना चाहिए। उनका रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह संचार लिखित रूप में होना चाहिए और इस आशय का एक रिकॉर्ड संबंधित सरकारी कर्मचारी के सीआर डोजियर में रखा जाना चाहिए।"

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में "उत्कृष्ट" ग्रेड दिया गया था, हालांकि वर्ष 1996 में उसे 'बहुत अच्छा/अच्छा' ग्रेड दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है

)

कि बहुत अच्छी या अच्छी प्रविष्टियाँ दर्ज करने के लिए कारणों को दर्ज करना आवश्यक था। वर्ष 1996 की प्रविष्टि को प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है, जिसे केवल बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में सूचित किया जाना आवश्यक था।"

(11) नियमों के नियम 5 में विचार किया गया है कि सेवा के प्रत्येक सदस्य के प्रदर्शन, चरित्र, आचरण और गुणवत्ता का आकलन करने वाली गोपनीय रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष के लिए लिखी जाएगी, जैसा कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। नियमों का नियम 6 समीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा समीक्षा से संबंधित है और नियमों का नियम 6ए स्वीकार करने वाले प्राधिकारी से संबंधित है। नियमों के नियम 2(ए) के संदर्भ में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी का अर्थ है समीक्षा करने वाले प्राधिकारी के प्रदर्शन की निगरानी करने वाला ऐसा प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया जा सकता है। इसलिए, टिप्पणियों को दर्ज करने की प्रक्रिया रिपोर्टिंग प्राधिकारी की टिप्पणियों से शुरू होती है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग के साथ समाप्त हो जाती है। नियम 8 के संदर्भ में, यह गोपनीय रिपोर्ट में केवल प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं, जिन्हें सरकार या सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण गोपनीय रिपोर्ट के सार के साथ संप्रेषित किया जाना आवश्यक है।

(12) ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया तर्क कि स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्टिंग/समीक्षा प्राधिकारी द्वारा टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग से असहमत होने के कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थी, कानून में टिकाऊ नहीं है। स्वीकार करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी है जो समीक्षा करने वाले प्राधिकारी के प्रदर्शन की निगरानी करता है और नियमों के नियम 2 (एफ) के संदर्भ में समीक्षा करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी है, जो रिपोर्टिंग अधिकारी के प्रदर्शन की निगरानी करता है। इसलिए, कार्य

का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों का पदानुक्रम ही टिप्पणियाँ दर्ज करना है। स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियाँ अधिकारियों के पदानुक्रम में एकमात्र अंतिम टिप्पणियाँ हैं। इसलिए, ये ऐसी टिप्पणियाँ हैं, जो प्रासंगिक हैं। इस प्रकार, हमारी राय है कि स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के लिए रिपोर्टिंग और समीक्षा करने वाले प्राधिकारियों द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों को डाउनग्रेड करने के कारणों को रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं था क्योंकि रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग के मामले में अंतिम शब्द स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का है।

(13) बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, जैसा कि 2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12427-सीएटी में इस न्यायालय द्वारा किया गया था, हमारी राय है कि यह केवल प्रतिकूल है वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टियाँ, जिन्हें संप्रेषित किया जाना आवश्यक है।

(14) परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा दायर मूल आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा[1]

[1](1) 1996 (2) एससीसी 363
(2) (2006) आई एस.सी.सी. 368
(3) 2001 (3) एससीटी 887
(4) 2001 (3) एससीटी 309
(5) 2003 (2) एससीटी 514